

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

क्रमांक- प 14 ( ) स्था0/18/1342

दिनांक 15.07.2019

**आदेश**

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्र क्रमांक राम/भू-अ0/परीक्षा/प-279/2017/8924-56 दिनांक 10.07.2019 द्वारा आवंटित व राजस्थान अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित सीधी भर्ती पटवारी प्रतियोगिता परीक्षा 2015 से चयनित अभ्यर्थियों को परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारी पद पर नियुक्ति निम्न शर्तों के अध्याधीन दी जाती है :-

(1) राजस्थान भू- राजस्व (भू-अभिलेख) नियम 1957 के नियम 4 (सी0सी0) अनुसार चयनित अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रोबेशन ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया जाता है व नियम 5 के परन्तुक (1) के अनुसार नियत पारिश्रमिक (fixed Remuneration) देय होगा। वर्तमान में नियम पारिश्रमिक रू 14600/- प्रतिमाह है।

(2) प्रशिक्षण अवधि 6 माह की होगी। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर एवं दो वर्ष की प्रोबेशन अवधि सन्तोषजनक पूर्ण होने पर आपको नियमानुसार पटवारी पद की सेवाएँ नियमित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि कोई प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण के पश्चात होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसकी सेवाएँ नियमित नहीं की जाएगी।

(3) उक्त नियुक्तियों माननीय उच्च न्यायालय की एस0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 14189/2017 संतोष राव बनाम सरकार व अन्य, 15198/2017 दौलतसिंह राठौड बनाम सरकार व अन्य, 15680/2017 रोहिताश योगी बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 16346/2017 नरेन्द्र सिंह राजपूत बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 बजरंग लाल सैनी बनाम सरकार व अन्य, 16538/2017 विनोद कुमार बनाम सरकार व अन्य, 17009/2017 कैलाश चन्द स्वामी बनाम सरकार व अन्य, 13333/2017 हीराराम बनाम सरकार व अन्य, 13327/2017 अमानाराम चौधरी बनाम सरकार व अन्य, 21426/2017 दशरथ चौहान बनाम सरकार व अन्य, 15962/2017 सोहन राम बनाम सरकार व अन्य 2112/2018 कमल सिंह बनाम सरकार व अन्य, 2112/2018 लाल सिंह बनाम सरकार व अन्य, 16263/2018 मेघा सक्सेना बनाम सरकार व अन्य 12769/2018 अंतिम बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगी।

(4) राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षणार्थी को इस आशय का अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा कि प्रशिक्षणोपरान्त राज्य सरकार के अधीनस्थ पटवारी के पद पर आपको कम से कम 03 वर्ष की सेवाएँ अर्पण करनी होगी अन्यथा आपके प्रशिक्षण पर खर्च की गई समस्त राशि राज्य सरकार को लौटानी होगी।

(5) इस नियुक्ति के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम 2005 लागू होगी।

(6) प्रशिक्षण अवधि में कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) नियुक्ति आदेश जारी होने के उपरान्त यदि कोई अभ्यर्थी नियुक्ति आदेश जारी होने के एक माह तक उपस्थित नहीं होने पर उसका नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।


(8) शैक्षिक प्रमाण पत्र के दस्तावेज असत्य व कुटुरचित पाये जाने पर अपराधिक कार्यवाही अमल में लायी जाएगी एवं उक्त नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

(9) पुलिस सत्यापन अथवा अन्य किसी प्रकार की जाँच में विरोधाभास की स्थिति में नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।

क्र. सं.	रोल नम्बर	मेरिट नम्बर	नाम प्रशिक्षु पटवारी मय पिता का नाम	गृह जिला	जन्म दिनांक	लिंग	श्रेणी
1	154652	7500	श्री लालसिंह पिता श्री भरतसिंह	भरतपुर	05.10.1990	पुरुष	SCM
2	211394	2205	श्री राजूदान पिता श्री जसुदान	चूरु	08.11.1985	पुरुष	OBCM
3	213715	2164	श्री दीपाराम पिता श्री अचलाराम	जोधपुर	09.09.1988	पुरुष	OBCM

M

नियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु पटवारियों को दिनांक 19.07.2019 को कार्यग्रहण करना है व दिनांक:- 22.07.2019 से अपनी उपस्थिति पटवार प्रशिक्षण शाला देबारी उदयपुर में देनी होगी। प्रशिक्षणशाला में मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित हों। 6 माह प्रशिक्षण अवधि में विभागीय परीक्षा देने हेतु 75 प्रतिशत उपस्थिति नियमानुसार अनिवार्य होगी।

  
जिला कलक्टर  
राजसमन्द  
दिनांक 15.07.2019

क्रमांक- प 14 ( ) स्था0/18/ 1343-1359  
प्रतिलिपि

1. निबन्धक राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर
2. निदेशक राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान अजमेर
3. संभागीय आयुक्त उदयपुर संभाग उदयपुर
4. जिला कलक्टर उदयपुर
5. जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर/चूरु/जोधपुर राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु (लेण्ड रेकार्ड) रूल्स 1957 के नियम 4(क) की पालना में चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र की कार्यवाही करावें :-

1	श्री लाल सिंह पिता श्री भरत सिंह	ग्राम घनागढ़ पोस्ट चिचाना तहसील भरतपुर जिला भरतपुर मो0न0 7079045839
2	श्री राजूदान पिता श्री जसुदान	ग्राम चारणवासी पोस्ट आसलखेड़ी तहसील व जिला चूरु मो0न0 9587432732
3	श्री दीपाराम पिता श्री अचलाराम	संतोष नगर ग्राम पंचायत बाबूसर तहसील शेरगढ जिला जोधपुर मो0न0 7877351227

6. अति. जिला कलक्टर नोडल अधिकारी राजसमन्द
7. उपनिदेशक DOIT राजसमन्द नवनियुक्त पटवारियों के नियुक्ति पत्र को बेबसाईट पर ऑन लाईन कराना सुनिश्चित करे।
8. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी राजसमन्द को प्रकाशनार्थ
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी भरतपुर/चूरु/जोधपुर अभ्यर्थियों के स्वस्थ्य की जाँच कर प्रमाण पत्र उसी दिन अभ्यर्थी को उपलब्ध करावें।
10. प्रधानाचार्य पटवार प्रशिक्षण स्कूल देबारी उदयपुर
11. श्री ..... पिता श्री ..... दिनांक 22.07.2019 तक अपनी उपस्थिति पटवार प्रशिक्षण शाला देबारी उदयपुर में देना सुनिश्चित करे ।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री ..... पिता श्री .....

  
जिला कलक्टर  
राजसमन्द